



केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Central Administrative Tribunal
प्रधान न्यायपीठ
Principal Bench

दूरभाष : 011-23385097
ईमेल : cat-delhi@nic.in
61/35, कापरनिकस मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 02.11.2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के दिनांक 05.03.2020 के समसंख्यक आदेश के अधिक्रमण तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-स्था.ए.-111 के अनुसरण में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सभी स्तर के कर्मचारियों की प्रभावी तारीख 8 नवम्बर, 2021 (सोमवार) से बायोमेट्रिक उपस्थिति पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि सदैव कोविड उपयुक्त व्यवहार का विधिवत पालन करते हुए प्रभावी तारीख 8 नवम्बर, 2021 (सोमवार) से आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

(सुलभ रस्तोगी)

संयुक्त रजिस्ट्रार

प्रति :

- माननीय अध्यक्ष, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव /प्रधान निजी सचिव
- माननीय सदस्यों, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
- वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
- सभी उप रजिस्ट्रार, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
- उप रजिस्ट्रार (ए)- का.और प्रशि. विभाग के दिनांक 01.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-स्था.ए.-111 की प्रति के साथ उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के अनुरोध सहित।
- सहायक निदेशक (रा.भा.), के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
- सभी अनुभाग अधिकारी/ कोर्ट अधिकारी, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
- लेखा अधिकारी, रोकड़ शाखा, के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
- गार्ड फाइल

अपने नियंत्रण
में कार्यरत
सभी कर्मचारियों
के संज्ञान में
लाने के अनुरोध
के साथे.